

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-1

संख्या- 370/EN/X-1-2023-01(35)/2023टी0सी0-2

देहरादून: दिनांक 06 अप्रैल, 2023

“कार्यालय ज्ञाप”

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या- 98/एस0बी0/2023 राजीव भरतरी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 03.04.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत हैं:-

15. *We, therefore, direct that respondent No. 4 shall forthwith stand divested of his duties as PCCF/HoFF, and the writ petitioner shall forthwith be restored to the said post. He shall be permitted to take-over charge at 10:00 AM tomorrow i.e. on 04.04.2023. However, since there are allegations made against the petitioner and he has been issued a charge-sheet, we restrain him from taking any decision on any matter concerning the charge-sheet issued to him, and he shall not deal with any file or matter relating to the charge-sheet.*

16. *It is made clear that this order shall not prejudice the rights of the respondents to assail the order dated 24.02.2023, and it shall be subject to further orders in this writ petition, or in the petition preferred by the respondents against the impugned order dated 24.02.2023.*

17. *List on 24.04.2023.*

2- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उक्त निर्णयादेश दिनांक 03.04.2023 के क्रम में शासन के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या-365, दिनांक 04.04.2023 द्वारा श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक एवं श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक को मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयादेश दिनांक 03.04.2023 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उक्त निर्णयादेश दिनांक 03.04.2023 द्वारा श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का पदभार दिनांक 04.04.2023 को ग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये उनके विरुद्ध निर्गत आरोप पत्र के दृष्टिगत श्री राजीव भरतरी को उक्त आरोप पत्र में वर्णित विषयों से संबंधित प्रकरणों/पत्रावलियों पर किसी भी प्रकार का निर्णय लिये जाने तथा व्यवहृत किये जाने हेतु निषिद्ध किया गया है।

4- वन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-281, दिनांक 10.03.2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम-3(1) व 3(2) के उल्लंघन हेतु श्री राजीव भरतरी को कदाचार, शासकीय दायित्वों का निर्वहन न करने, शासकीय कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने, शासकीय निर्देशों/आदेशों की अवहेलना करने तथा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली, 1968 में विहित प्राविधानों के विपरीत आचरण किये जाने के संबंध में 08 बिन्दुओं में आरोपित करते हुये आरोप पत्र निर्गत किया गया है।

5-

उक्त आरोप पत्र दिनांक 10.03.2023, श्री राजीव भरतरी के तत्समय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर कार्यरत रहने की अवधि के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कण्डी रोड निर्माण, मोरघट्टी तथा पाखरौ वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, पाखरौ वन विश्राम गृह के समीप जलाशय का निर्माण तथा पाखरौ में प्रस्तावित टाइगर सफारी में वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में गंभीर प्रशासनिक एवं आपराधिक अनियमितताओं संबंधी प्रकरण के संज्ञान में आने के बावजूद श्री राजीव भरतरी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने, अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में किये जा रहे अनधिकृत एवं अवैध कार्यों की रोकथाम किये जाने में पूर्ण रूप से विफल रहने, समय-समय पर निर्गत शासकीय निर्देशों/आदेशों की अवहेलना किये जाने, विषयगत प्रकरण में वृक्षों के अवैध पातन की जानकारी होने के बावजूद तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के पद पर कार्यरत रहते हुये अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करते हुये प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रकरण में श्री राजीव भरतरी की संलिप्तता परिलक्षित होने तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत कथित विभिन्न गंभीर अनियमितताओं एवं लोक धन के दुरुपयोग से संबंधित गंभीर शिकायतों से संबंधित प्रकरण में शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर कार्यरत रहने के दौरान कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में निर्गत किया गया है।

6-

अतएव मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उक्त रिट याचिका संख्या-98/एस0बी0/2023 राजीव भरतरी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 03.04.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक के विरुद्ध निर्गत उक्त आरोप पत्र दिनांक 10.03.2023 में वर्णित विषयों से संबंधित प्रकरणों/पत्रावलियों को श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

7-

कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कण्डी रोड निर्माण, मोरघट्टी तथा पाखरौ वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, पाखरौ वन विश्राम गृह के समीप जलाशय का निर्माण तथा पाखरौ में प्रस्तावित टाइगर सफारी में वृक्षों के अवैध पातन आदि के संबंध में गंभीर अनियमितताओं संबंधी प्रकरण का पर्यवेक्षण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली; मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल; मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण; राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण; केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून के द्वारा किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली; मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अथवा पत्राचार श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त विषयों के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अथवा पत्राचार प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

8-

उक्त के अतिरिक्त श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा वन विभाग के किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण, मुख्यालय के अंतर्गत तैनात



अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य नवीन कार्य विभाजन तथा कोई भी नीतिगत निर्णय शासन के अनुमोदन के पश्चात ही किया जायेगा।

9— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे तथा उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10— श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त आदेशों के अतिक्रमण में निर्गत समस्त आदेश, यदि कोई हों, तदनुसार स्वतः अपास्त समझे जायेंगे।

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

Date: 06-04-2023 11:00:54

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या- 370/GEN (1)/X-1-2023-01(35)/2023टी0सी0-2. तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. महानिबन्धक, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. सहायक वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली।
6. एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव-मा0 वन मंत्री जी को मा0 वन मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
13. निजी सचिव-प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
14. वैभागीय आदेश पुस्तिका।

**Signed by Satya Prakash
Singh**

Date: 06-04-2023 11:07:54

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।